



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052023-246168
CG-DL-E-30052023-246168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2023/ज्येष्ठ 9, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2023/JYAISHTHA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 399(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) और धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 11क के, उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है के सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा।”।

[अधिसूचना सं. 34/ 2023 / फाईल नंबर 370142/13/2023-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड-3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 396 (अ) तारीख 29 मई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।